राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 20(1) परि/लेखा/सी.ए.जी./2012–13 जयपुर, दिनांकः 3.06.2016

कार्यालय आदेश सं. 25/2016

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में निहित अनुच्छेद सं. 3.3 एवं 3.5 जो कि बकाया राजस्व वसूली तथा महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित बकाया राशि की वसूली से संबंधित है। उक्त बकाया वसूली की धीमी प्रगति के कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुपालना पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणी के क्रम में उक्त प्रतिवेदनों में निहित बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना बनाई जाकर सभी अधीनस्थ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. बकाया राशि को 50 प्रतिशत वसूली माह सितम्बर 16 के अन्त, 75 प्रतिशत वसूली माह दिसम्बर 16 एवं 100 प्रतिशत वसूली माह मार्च 17 के अन्त तक आवश्यक रूप से की जावे।
2. बकाया वसूली को निर्धारित समय में करने/प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों के नेतृत्व में निम्नानुसार कार्यदल गठित किये जाते है जो बकाया वसूली हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आवंटित कार्यालयों में जाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण वसूली सुनिश्चित करेगे।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय पद	आवंटित कार्यालय
1	श्री हंस कुमार शर्मा, अति. परिवहन आयुक्त (आई.टी.)	प्रा.प.का. अजमेर/चित्तौडगढ/उदयपुर
2	श्री आर.सी.यादव, अति. परिवहन आयुक्त (कर)	प्रा.प.का. कोटा/जयपुर/सीकर
3	श्री सत्तार खान, अति. परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन)	प्रा.प.का. दौसा/अलवर/भरतपुर
4	श्री हरीश शर्मा, अति. परिवहन आयुक्त (यो.वि.)	प्रा.प.का. पाली/जोधपुर/बीकानेर

उक्त समस्त अधिकारीगण उनको आवंटित कार्यालयों से संबंधित वसूली की प्रगति से प्रतिमाह अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

sd/
(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प. 20(1) परि/लेखा/सी.ए.जी./2012–13 /10844-47 जयपुर, दिनांकः 3/6/16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
2. महालेखाकार राज. जयपुर
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)/आई.टी./कर/प्रर्वतन/यो.वि. को पालनार्थ
4. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी...को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार बकाया की वसूली सुनिश्चित करे।

प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त